(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 26/2020-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 2 जून, 2020

सा.का.नि.... (अ), - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में, और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,

(क) सारणी में, क्रम संख्या 21घ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"21ङ.	0713 40 00	मसूर	10%	-	-
21च	0713 40 00	मसूर, संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादित या वहां से निर्यातित	30%	-	-";

(ख) पहले परंतुक में, उपवाक्य (घ) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(ङ.) 31 अगस्त, 2020 के पश्चात उक्त सारणी के क्रम संख्या 21ङ. और 21च के समक्ष विनिर्दिष्ट वस्तुएं"

[फाइल संख्या 354/368/2017-टीआरयू]

गौरव सिंह

(गौरव सिंह)

उप सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, को सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 23/2020-सीमा शुल्क, दिनांक 14 मई, 2020, जिसे सा.का.नि. 296 (अ), दिनांक 14 मई, 2020 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।